फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पर्वतसिंह पिता श्री नाहरसिंह राठौड, नि0 माण्डावाडा, पोस्ट पडासली, राजसमन्द **—अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 14/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.04.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2021/402—403 दिनांक 06.04.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2021 सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 18.01.2021 व इस अनुभाग को 18.01.2021 को प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थी/ अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.01.2021 को आरटीआई आवेदन जिसका अवलोकन करने पर जो प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2020 का आरटीआई आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया और उससे संबंधित जो सूचना चाही गई के संबंध में कार्यालय की प्रभारी आवक शाखा से रिपोर्ट ली गईरिपोर्ट के अनुसार उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2020 को इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ हैं जिससे कोई कार्यवाही नही की जा सकती हैं। अपीलार्थी को आरटीआई आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम,05 की धारा 7(8)(1) के तहत सूचित करते हुए कार्यालय स्तर पर पत्रीत किया गया हैं। आरटीआई, 2005 की धारा 2 एच के अनुसार सूचना वही दी जा सकती है जो पहले से अभिलेख पर उपलब्ध हो। प्रार्थी के प्रकरण में जो सूचना चाही गई वह कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध नही होने से इस कार्यालय के जरिये पत्रांक प.1( ) सू0अ0,05/2021/77 दिनांक 25.01.2021 से प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)